[2018] 4 उम. नि. प. 1

भूपेन्द्र कुमार चिमनभाई काचिया पटेल

बनाम

प्रभागीय नियंत्रक, जीएसआरटीसी, नाडियाड

7 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10, 18 और 25ग] – अपील – किसी संस्थान में 'बादली कामदार' के रूप में अस्थायी तौर पर निरंतर 180 दिनों की सेवा करना – एक विधिमान्य समझौते के अनुसरण में, समझौते की तारीख से उन्हें स्थायी कैडर व काल-वेतनमान मंजूर करना – यदि किसी संस्थान द्वारा किसी विधिमान्य समझौते के अनुसरण में, संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के 180 दिन की निरंतर सेवा पूरी करने के पश्चात्, उन्हें आमेलित करते हुए, आमेलन की तारीख से उन्हें स्थायी कैडर और वेतनमान मंजूर करता है तो ऐसे कर्मचारी संस्थान में अपनी नियुक्ति की तारीख से स्थायी कैडर व काल-वेतनमान देने की मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मांग अनुचित और अविधिमान्य होगी ।

वर्तमान मामले में, प्रफुल्लभाई हीराभाई सोलंकी, इसमें के अपीलार्थियों में से एक है, जिसका नाम, जूनागढ़ अनुभाग के मंगरोल डिपो में 'बादली कामदार' के रूप में तारीख 4 जून, 1999 को प्रत्यर्थी-गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की सेवाओं में नियोजित विशेष इजाजत याचिका की अभिलेख पुस्तिका के पृष्ठ 18 पर प्रतीत होता है । वह दैनिक मजदूर के रूप में नियोजित था । तारीख 21 दिसम्बर, 1989 को निगम में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा शर्तों के संबंध में कतिपय विवाद्यकों को हल करने के लिए निगम और कर्मचारियों के संघ के बीच एक समझौता हुआ था । समझौते का खंड 20, जो इन अपीलों का निपटारा करने के लिए सुसंगत है, कंडक्टर के स्थायी कैडर में 'बादली कामदार' के नियोजन और आमेलन तथा ऐसे कर्मकारों को काल-वेतनमान मंजूर करने पर विचार करता है ।

यह ऐसी प्रक्रिया का उपबंध करता है कि 'बादली कामदार' की सेवाओं को कैसे, कब और किन तरीकों से विनियमित किया जाएगा और विशिष्ट काल-वेतनमान में आमेलित किया जाएगा । तारीख 21 दिसम्बर, 1989 के समझौते के खंड 20 के निबंधनों में, निगम को अपीलार्थी के मामले पर विचार करना था जब कंडक्टर के पद पर स्थायी कैडर में रिक्ति उद्भूत होती और तद्नुसार, उसे कंडक्टर के रूप में तारीख 27 अगस्त, 2008 को निगम की सेवाओं में स्थायी कर्मचारी के रूप मे आमेलित कर लिया गया था । उसे पारिणामिक फायदों के साथ तारीख 27 अगस्त, 2008 के तत्काल प्रभाव से काल-वेतनमान दिया गया था । अपीलार्थी की तरह से, कई सौ 'बादली कामदार' थे जो सुसंगत समय पर निगम में कार्य कर रहे थे । इन 'बादली कामदारों' के मामलों पर भी विचार किया गया, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या वे निगम में स्थायी होने के लिए खंड 20 की शर्तों को पूरा करते हैं जैसे और जब कंडक्टर के कैडर में स्थायी रिक्तियां उद्भूत होंगी । उनमें से जो अर्ह पाए गए थे और शर्तों को पूरा करते थे, वे कंडक्टर के पद पर स्थायी कर्मचारियों के रूप में सेवा में आमेलित कर लिए गए थे और तद्नुसार, उन्हें कैडर में 180 दिनों की सेवा समाप्त करने के पश्चात् काल-वेतनमान दे दिया गया था । तद्नुसार, उन्हें समझौते के खंड 20 में विहित प्रक्रिया के निबंधनों में स्थायी कर दिया गया था । इसी कारण, कर्मचारियों और निगम के बीच में विवाद हुआ । कर्मचारी (अपीलार्थी) के अनुसार, वह 'बादली कामदार' के रूप में सेवा में आरंभिक पदग्रहण की तारीख से सेवा की 180 दिन की समाप्ति पर अर्थात् तारीख 4 जून, 1999 से इस फायदे को पाने का हकदार था और न कि आमेलन की तारीख से, जबकि निगम के अनुसार, अपीलार्थी और अपीलार्थी की तरह से सभी कर्मचारी उस तारीख से 180 दिन की समाप्ति पर सही तौर पर फायदा पाने के हकदार थे जब वे स्थायी कैडर में आमेलित हुए थे अर्थात् जैसा कि अपीलार्थी के मामले में 27 अगस्त, 2008 से, जैसा कि समझौते के खंड 20 में उपबंधित है । औद्योगिक अधिकरण ने तारीख 8 अगस्त, 2013 के अधिनिर्णय (उपाबंध पी-12) द्वारा निर्देश का उत्तर कर्मचारियों के पक्ष में दिया और तद्नुसार, उनके उन फायदों को मंजूर कर लिया जिनका कर्मचारियों ने दावा किया था । निगम व्यथित हुआ और इसके विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद में रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने तारीख 18 सितम्बर, 2014 के आदेश द्वारा रिट याचिका मंजूर कर ली और औद्योगिक

अधिकरण के अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया । एकल न्यायाधीश ने निगम द्वारा लिए गए आधार को स्वीकार कर लिया और तद्नुसार, उन्होंने निगम द्वारा समझौते के खंड 20 में यथाउपबंधित तारीख 27 अगस्त, 2008 से कर्मचारी (अपीलार्थी) के फायदों को मंजूर करने की कार्रवाई को कायम रखा । अपीलार्थी (कर्मचारीगण) व्यथित हुए और इसके विरुद्ध, खंड न्यायपीठ के समक्ष आंतरिक न्यायालय अपीलें फाइल कीं । आक्षेपित निर्णयों और आदेशों द्वारा खंड न्यायपीठ ने कर्मचारियों द्वारा फाइल अपीलों को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के उन आदेशों को कायम रखा, जिसके कारण कर्मचारियों ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत अपील के माध्यम से इन अपीलों को फाइल किया । न्यायालय द्वारा अपीलों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह विवादित नहीं है कि निगम ने कर्मचारियों को उनका स्थायी कैडर मंजूर करते समय और कंडक्टर का काल-वेतनमान देते समय खंड 20 में उपबंधित प्रक्रिया का पालन किया है । दूसरे शब्दों में, सभी अर्ह 'बादली कामदारों' को संस्थान में आमेलित कर लिया गया था और तद्नुसार, समझौते के खंड 20 में विहित प्रक्रिया के निबंधनों में फायदे दिए गए थे । इन अविवादित तथ्यों से भी यह स्पष्ट होता है कि प्रथमतः अपीलार्थी (संबंधित कर्मचारी) को तारीख 4 जून, 1999 को निगम में 'बादली कामदार' के रूप में नियुक्त किया गया था, द्वितीयतः, कंडक्टर के स्थायी कैडर में तारीख 27 अगस्त, 2008 के आस-पास स्पष्ट रिक्ति उद्भूत हुई थी, तृतीयतः, 'बादली कामदारों' की ज्येष्ठता सूची के अनुसार, अपीलार्थी को तद्नुसार, उस कैडर में उसकी सेवा के 180 दिन पूरे होने पर तारीख 27 अगस्त, 2008 के तत्काल प्रभाव से काल-वेतनमान पर स्थायी कैडर में आमेलित किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप उसे उक्त तारीख से उक्त पद के सभी फायदे दिए गए थे और अंततः, तभी से, उसके बाद, अपीलार्थी और उसके समान अन्य सभी कर्मचारी क्रमशः अपने पद पर निरंतर बने हुए हैं । न्यायालय की सुविचारित राय में, न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अभिनिर्धारित के प्रकाश में, अपीलार्थियों (कर्मचारियों) के पास 'बादली कामदार' के रूप में अपनी आरंभिक नियुक्ति की तारीख से उपर्युक्त फायदों का दावा करने के लिए कोई आधार नहीं है । वस्तुतः, इस प्रकार के फायदों का दावा करने के लिए न तो कोई तथ्यात्मक आधार है, न ही कोई विधिक आधार है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल भी ऐसा कोई दस्तावेज दर्शित करने में समर्थ नहीं हुए हैं जिससे कि अपीलार्थियों

का उनकी आरंभिक नियुक्ति की तारीख से ऐसे फायदों का दावा करने के लिए उन्हें समर्थ बनाता जो उनके नियुक्ति पत्र के निबंधनों/शर्तों में या समझौते में या निगम द्वारा विरचित किसी नियम/विनियम में ऐसे अधिकार को मान्यता देता है । समझौते का खंड 20 मात्र ऐसा खंड है जो वैयक्तिक आधार पर उनके मामले पर विचार करने के लिए अपीलार्थी के आधार को मान्यता प्रदान करता है और उसे उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन उसे फायदा मंजूर करता है जो अपीलार्थी के मामले में संतोषप्रद पाया गया था और तद्नुसार, उसे ऐसे प्रत्येक कर्मचारियों के साथ फायदा मंजूर किया गया था । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थियों ने न तो समझौते को चुनौती दी है न ही इसकी प्रयोज्यता को । दूसरे शब्दों में, इन कार्यवाहियों में, तारीख 21 दिसम्बर, 1989 के समझौते की वैधता या/और बाध्यकारी प्रकृति को कभी भी प्रश्नगत नहीं किया गया है । मामले में इस मत को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम, 1947 की धारा 18 के निबंधनों में, दोनों पक्षकारों पर समझौता बाध्यकारी है । (पैरा 28, 29, 30, 31, 32 और 33)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 2546 के साथ 2594-2597, 2556-2592, 2547-2555.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

पक्षकारों की ओर से सर्वश्री तुषार मेहता, अपर महासालिसिटर, कॉलिन गॉन्साल्वेस, ज्येष्ठ अधिवक्ता, निखिल गोयल, (सुश्री) नवीन गोयल, आशुतोष गारे, (सुश्री) अदिति गुप्ता, सत्या मित्रा, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – इजाजत दी जाती है ।

2. ये अपीलें गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा तारीख 28 जून, 2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 550/2016, तारीख 22 अगस्त, 2017 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1344-1347/2017, तारीख 4 अगस्त, 2017 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1185/2014, 1199, 1252, 1254-1259, 1261, 1264-1278, 1281-1282, 1284, 1286, 1288, 1291-1296,

1298/2014, तारीख 21 जून, 2016 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 497-500/2016 और तारीख 4 जुलाई, 2017 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1200, 1287, 1289, 1297 और 1299/2014 में पारित अंतिम निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इसमें के अपीलार्थी द्वारा फाइल अपीलों को खारिज कर दिया था और उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णयों को कायम रखा था ।

3. इन अपीलों में अंतर्वलित विवाद्यकों का मूल्यांकन करने के अनुक्रम में, तथ्यों का सविस्तार उल्लेख करना आवश्यक है । इन सभी अपीलों में उद्भूत होने वाले तथ्य और विधिक विवाद्यक प्रकृति में समान है, सिवाय उनके आरंभिक नियुक्ति और आमेलन के, जो प्रत्यर्थी की सेवा में मामले-दर-मामले भिन्न हैं ।

4. सुविधा के लिए, 2017 की विशेष इजाजत याचिका सं. 28519-28522 की अभिलेख पुस्तिका के निर्देश आई. टी. संख्या 4/2011 (उपाबंध 12) में उल्लिखित तथ्य, निम्न हैं ।

5. प्रफुल्लभाई हीराभाई सोलंकी, इसमें के अपीलार्थियों में से एक है, जिसका नाम, जूनागढ़ अनुभाग के मंगरोल डिपो में 'बादली कामदार' के रूप में तारीख 4 जून, 1999 को प्रत्यर्थी-गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'निगम' कहा गया है) की सेवाओं में नियोजित विशेष इजाजत याचिका की अभिलेख पुस्तिका के पृष्ठ 18 पर प्रतीत होता है । वह दैनिक मजदूर के रूप में नियोजित था ।

6. तारीख 21 दिसम्बर, 1989 को निगम में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा शर्तों के संबंध में कतिपय विवाद्यकों को हल करने के लिए निगम और कर्मचारियों के संघ के बीच एक समझौता हुआ था ।

7. समझौते का खंड 20, जो इन अपीलों का निपटारा करने के लिए सुसंगत है, कंडक्टर के स्थायी काडर में 'बादली कामदार' के नियोजन और आमेलन तथा ऐसे कर्मकारों को काल-वेतनमान मंजूर करने पर विचार करता है । यह ऐसी प्रक्रिया का उपबंध करता है कि 'बादली कामदार' की सेवाओं को कैसे, कब और किन तरीकों से विनियमित किया जाएगा और विशिष्ट काल-वेतनमान में आमेलित किया जाएगा ।

8. तारीख 21 दिसम्बर, 1989 के समझौते के खंड 20 के निबंधनों में, निगम को अपीलार्थी के मामले पर विचार करना था जब कंडक्टर के

पद पर स्थायी कैडर में रिक्ति उद्भूत होती और तद्नुसार, उसे कंडक्टर के रूप में तारीख 27 अगस्त, 2008 को निगम की सेवाओं में स्थायी कर्मचारी के रूप मे आमेलित कर लिया गया था । उसे पारिणामिक फायदों के साथ तारीख 27 अगस्त, 2008 के तत्काल प्रभाव से काल-वेतनमान दिया गया था ।

9. अपीलार्थी की तरह से, कई सौ 'बादली कामदार' थे जो सुसंगत समय पर निगम में कार्य कर रहे थे । इन 'बादली कामदारों' के मामलों पर भी विचार किया गया, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या वे निगम में स्थायी होने के लिए खंड 20 की शर्तों को पूरा करते हैं जैसे और जब कंडक्टर के कैडर में स्थायी रिक्तियां उद्भूत होंगी । उनमें से जो अर्ह पाए गए थे और शर्तों को पूरा करते थे, वे कंडक्टर के पद पर स्थायी कर्मचारियों के रूप में सेवा में आमेलित कर लिए गए थे और तद्नुसार, उन्हें कैडर में 180 दिनों की सेवा समाप्त करने के पश्चात् काल-वेतनमान दे दिया गया था । तद्नुसार, उन्हें समझौते के खंड 20 में विहित प्रक्रिया के निबंधनों में स्थायी कर दिया गया था ।

10. इसी कारण, कर्मचारियों और निगम के बीच में विवाद हुआ । आवश्यक रूप से, विवाद्यक यह था कि ऐसे 'बादली कामदारों' को किस तारीख से यह फायदा अर्थात् उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए और काल-वेतनमान का फायदा मंजूर किया जाना चाहिए ।

11. कर्मचारी (अपीलार्थी) के अनुसार, वह 'बादली कामदार' के रूप में सेवा में आरंभिक पदग्रहण की तारीख से सेवा की 180 दिन की समाप्ति पर अर्थात् तारीख 4 जून, 1999 से इस फायदे को पाने का हकदार था और न कि आमेलन की तारीख से, जबकि निगम के अनुसार, अपीलार्थी और अपीलार्थी की तरह से सभी कर्मचारी उस तारीख से 180 दिन की समाप्ति पर सही तौर पर फायदा पाने के हकदार थे जब वे स्थायी कैडर में आमेलित हुए थे अर्थात् जैसा कि अपीलार्थी के मामले में 27 अगस्त, 2008 से, जैसा कि समझौते के खंड 20 में उपबंधित है ।

12. तद्नुसार, इस विवाद्यक को अपीलार्थी की प्रेरणा पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 10 के अधीन औद्योगिक अधिकरण राजकोट को निर्दिष्ट किया गया । इसी प्रकार की स्थिति में रहने वाले कर्मचारियों की प्रेरणा पर औद्योगिक अधिकरण के समक्ष कतिपय ऐसे अन्य निर्देश भी किए गए ।

13. औद्योगिक अधिकरण ने तारीख 8 अगस्त, 2013 के अधिनिर्णय (उपाबंध पी-12) द्वारा निर्देश का उत्तर कर्मचारियों के पक्ष में दिया और तद्नुसार, उनके उन फायदों को मंजूर कर लिया जिनका कर्मचारियों ने दावा किया था । दूसरे शब्दों में, औद्योगिक अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी (कर्मचारी) अपनी आरंभिक पदग्रहण की तारीख अर्थात् 4 जून, 1999 से सेवा में 180 दिन की समाप्ति के तत्काल प्रभाव से कंडक्टर के रूप में काल-वेतनमान में अपनी सेवा में स्थायी आमेलन का दावा करने का हकदार है । तद्नुसार, निगम को ऐसी तारीख से सभी पारिणामिक फायदों का संदाय करने के लिए कहा था । सारांश में, औद्योगिक अधिकरण ने निगम द्वारा लिए गए आधार को नामंजूर कर दिया था ।

14. निगम व्यथित हुआ और इसके विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद में रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने तारीख 18 सितम्बर, 2014 के आदेश द्वारा रिट याचिका मंजूर कर ली और औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया । एकल न्यायाधीश ने निगम द्वारा लिए गए आधार को स्वीकार कर लिया और तद्नुसार, उन्होंने निगम द्वारा समझौते के खंड 20 में यथाउपबंधित तारीख 27 अगस्त, 2008 से कर्मचारी (अपीलार्थी) के फायदों को मंजूर करने की कार्रवाई को कायम रखा ।

15. अपीलार्थी (कर्मचारीगण) व्यथित हुए और इसके विरुद्ध, खंड न्यायपीठ के समक्ष आंतरिक न्यायालय अपीलें फाइल की । आक्षेपित निर्णयों और आदेशों द्वारा खंड न्यायपीठ ने कर्मचारियों द्वारा फाइल अपीलों को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के उन आदेशों को कायम रखा, जिसके कारण कर्मचारियों ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत अपील के माध्यम से इन अपीलों को फाइल किया ।

16. अपीलार्थियों के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री कॉलिन गॉन्साल्वेस और प्रत्यर्थी के विद्वान् अपर महासालिसिटर श्री तुषार मेहता को सुना ।

17. अपीलार्थियों (कर्मचारियों) के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री कॉलिन गॉन्साल्वेस ने आक्षेपित आदेशों की वैधता और सत्यता को आक्षेपित करते हुए यह दलील दी कि औद्योगिक अधिकरण द्वारा दिए गए कारण और निकाले गए निष्कर्ष ठीक समुचित और विधिक थे तथा इसीलिए, इसमें उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश और खंड न्यायपीठ) द्वारा हस्तक्षेप नहीं

किया जाना चाहिए था ।

18. विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि औद्योगिक अधिकरण के निष्कर्ष, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन पर आधारित थे, अतएव, ऐसे निष्कर्षों में कोई गलती नहीं हो सकती थी । विद्वान् काउंसेल ने साक्ष्यों के माध्यम से हमें यह दर्शित किया कि औद्योगिक अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष, एकल न्यायाधीश और खंड न्यायपीठ के निष्कर्षों के विरुद्ध कायम रखे जाने योग्य हैं ।

19. विद्वान् काउंसेल ने निगम और इसके कर्मचारियों के बीच पूर्ववर्ती मुकदमे में पारित कुछ न्यायिक आदेशों का अवलंब लिया, जिनके अनुसार, प्रश्नगत विवाद्यक को कर्मचारियों के पक्ष में विनिश्चित किया गया था ।

20. अपीलार्थियों के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह निवेदन किया कि इन न्यायिक आदेशों के प्रकाश में, इसी प्रकार के आदेश इन अपीलों में भी पारित किया जाना चाहिए ।

21. उत्तर में प्रत्यर्थी के विद्वान् अपर महासालिसिटर श्री तुषार मेहता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और यह दलील दी कि उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश और खंड न्यायपीठ) के समवर्ती निष्कर्ष कायम रखे जाने योग्य है ।

22. समझौते के खंड 20 का अवलंब लेते हुए, विद्वान् अपर महासालिसिटर ने यह दलील दी कि निगम द्वारा की गई कार्रवाई खंड 20 की अपेक्षाओं की पुष्टि में है, अतएव, ये कायम रखे जाने योग्य हैं ।

23. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने और मामले के अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात्, हम इन अपीलों में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं ।

24. विद्वान् अपर महासालिसिटर द्वारा यह सही ही तर्क दिया गया है कि प्रश्नगत विवाद्यक को समझौते के खंड 20 के प्रकाश में विनिश्चित किया जाना चाहिए ।

25. इस विधिक प्रतिपादना को विवादित नहीं किया जा सकता है कि जब नियोजक और कर्मचारियों के बीच एक बार समझौता हो गया जैसा कि अधिनियम की धारा 18 में उपबंधित है तो यह नियोजक और कर्मचारियों के बीच आबद्धकर हो जाता है ।

26. यह विवादित नहीं है कि तारीख 21 दिसम्बर, 1989 को निगम और निगम के कर्मकारों के संघ के बीच उनकी सेवा शर्तों के संबंध में विभिन्न विवाद्यकों के बारे में समझौता हो गया था । ऐसा विवाद्यक भी निगम के स्थायी कैडर में 'बादली कामदारों' के आमेलन से संबंधित था । खंड 20 उन तरीकों को उपबंधित करता है जिनमें पक्षकारों द्वारा इन्हें प्रभावी बनाया जाना था ।

27. तारीख 21 दिसम्बर, 1989 के समझौते का खंड 20 निम्नलिखित है :–

> "तारीख 23 नवम्बर, 1984 के समझौते की धारा 29 के उपबंधों को हटाने और तारीख 22 अक्तूबर, 1964 के समझौते की धारा 43 के उपबंधों को प्रवर्तित कराने के लिए किए गए अभ्यावेदन के संदर्भ में, यह अवधारित किया जाता है कि चयनित कर्मचारियों की प्रभागीय सूची तैयार करने के पश्चात्, उन्हें खंड/यूनिट में स्थायी पदों के विरुद्ध अस्थायी/दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया और यदि ऐसे नियुक्त अस्थायी/दैनिक मजदूर ने 180 दिनों तक निरंतर रूप से कार्य किया है जिसमें साप्ताहिक छुट्टी/सवेतन छुट्टी और प्राधिकृत छुट्टी सम्मिलित है तो वे काल-वेतनमान प्राप्त करेंगे । यह उपबंध सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रभार कार्य कर रहे कर्मचारियों को लागू नहीं होगा और ऐसे नियुक्त अस्थायी/दैनिक मजदूर जिन्होंने 180 दिनों तक निरंतर कार्य किया है जिसमें साप्ताहिक छुट्टी/सवेतन छुट्टी और प्राधिकृत छुट्टी सम्मिलित है तो उन्हें काल-वेतनमान दिया जाएगा और वे काल-वेतनमान कर्मचारियों को उपलब्ध सभी फायदों को पाने के हकदार होंगे । उपर्युक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत छुट्टी के कारण अनुपस्थिति को भंग के रूप में विचार नहीं किया जाएगा और इन दिनों को 180 दिनों की सेवा के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।
>
> एस.टी.टी. 1981 की अनुज्ञा के अनुसार, यदि स्टाफ की भर्ती अस्थायी या 'बादली कामदार' के रूप में की गई है तो सेवा के 180 दिन पूरे करने के पश्चात् उन्हें अनुज्ञा प्राप्त रिक्तियों पर क्रमवार काल-वेतनमान दिया जाएगा ।
>
> ऐसे कर्मकारों को तारीख 1 अगस्त, 1987 के तत्काल प्रभाव से सांकेतिक वेतन वृद्धि के साथ नियमों के अनुसार सभी फायदों को

मंजूर किया जाएगा और उनसे कोई भी वसूली नहीं की जाएगी न ही उन्हें कोई बकाया संदत्त किया जाएगा ।

सेवारत कर्मकार, मानसून के दौरान अपेक्षित नहीं है, इसलिए अपेक्षाओं के अनुसार उनकी छटनी की जा सकती है और मानसून के पश्चात् यदि उनकी सेवाएं अपेक्षित हैं तो पुनः उन्हें ज्येष्ठता क्रम के अनुसार लिया जा सकता है तो उन्हें काल-वेतनमान दिया जाएगा । यदि कोई स्थायी पद पर रिक्ति होती है तो काल-वेतनमान पर प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी ।"

28. यह विवादित नहीं है कि निगम ने कर्मचारियों को उनका स्थायी कैडर मंजूर करते समय और कंडक्टर का काल-वेतनमान देते समय खंड 20 में उपबंधित प्रक्रिया का पालन किया है । दूसरे शब्दों में, सभी अर्ह 'बादली कामदारों' को संस्थान में आमेलित कर लिया गया था और तद्नुसार, समझौते के खंड 20 में विहित प्रक्रिया के निबंधनों में फायदे दिए गए थे ।

29. इन अविवादित तथ्यों से भी यह स्पष्ट होता है कि प्रथमतः अपीलार्थी (संबंधित कर्मचारी) को तारीख 4 जून, 1999 को निगम में 'बादली कामदार' के रूप में नियुक्त किया गया था, द्वितीयतः, कंडक्टर के स्थायी कैडर में तारीख 27 अगस्त, 2008 में और आस-पास स्पष्ट रिक्ति उद्भूत हुई थी, तृतीयतः, 'बादली कामदारों' की ज्येष्ठता सूची के अनुसार, अपीलार्थी को तद्नुसार, उस कैडर में उसकी सेवा के 180 दिन पूरे होने पर तारीख 27 अगस्त, 2008 के तत्काल प्रभाव से काल-वेतनमान पर स्थायी कैडर में आमेलित किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप उसे उक्त तारीख से उक्त पद के सभी फायदे दिए गए थे और अंततः, तभी से, उसके बाद, अपीलार्थी और उसके समान अन्य सभी कर्मचारी क्रमशः अपने पद पर निरंतर बने हुए हैं ।

30. हमारी सुविचारित राय में, हमारे द्वारा उपर्युक्त अभिनिर्धारित के प्रकाश में, अपीलार्थियों (कर्मचारियों) के पास 'बादली कामदार' के रूप में अपनी आरंभिक नियुक्ति की तारीख से उपर्युक्त फायदों का दावा करने के लिए कोई आधार नहीं है । वस्तुतः, इस प्रकार के फायदों का दावा करने के लिए न तो कोई तथ्यात्मक आधार है, न ही कोई विधिक आधार है ।

31. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल भी ऐसा कोई दस्तावेज दर्शित करने में समर्थ नहीं हुए हैं जिससे कि अपीलार्थियों का उनकी आरंभिक

नियुक्ति की तारीख से ऐसे फायदों का दावा करने के लिए उन्हें समर्थ बनाता जो उनके नियुक्ति पत्र के निबंधनों/शर्तों में या समझौते में या निगम द्वारा विरचित किसी नियम/विनियम में ऐसे अधिकार को मान्यता देता है ।

32. समझौते का खंड 20 मात्र ऐसा खंड है जो वैयक्तिक आधार पर उनके मामले पर विचार करने के लिए अपीलार्थी के आधार को मान्यता प्रदान करता है और उसे उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन उसे फायदा मंजूर करता है जो अपीलार्थी के मामले में संतोषप्रद पाया गया था और तद्नुसार, उसे ऐसे प्रत्येक कर्मचारियों के साथ फायदा मंजूर किया गया था ।

33. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थियों ने न तो समझौते को चुनौती दी है न ही इसकी प्रयोज्यता को । दूसरे शब्दों में, इन कार्यवाहियों में, तारीख 21 दिसम्बर, 1989 के समझौते की वैधता या/और बाध्यकारी प्रकृति को कभी भी प्रश्नगत नहीं किया गया है । मामले में इस मत को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम, 1947 की धारा 18 के निबंधनों में, दोनों पक्षकारों पर समझौता बाध्यकारी है ।

34. 'बादली कामदार' की अवधारणा को कानूनी तौर पर अधिनियम, 1947 के अधीन मान्यता प्राप्त है । धारा 25ग के स्पष्टीकरण 'बादली कामदार' के निबंधनों को परिभाषित किया गया है । अपीलार्थी ने 'बादली कामदार' के रूप में अपनी प्रास्थिति को कभी भी प्रश्नगत नहीं किया है । वस्तुतः, यह 'बादली कामदार' की प्रास्थिति के कारण ही है जिसमें उसने निगम में कुछ वर्षों तक सेवा की है जिससे उसे स्थायी कैडर में आमेलन का फायदा मिला है ।

35. जहां तक अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा कुछ पूर्ववर्ती न्यायिक आदेशों का अवलंब लेने का संबंध है, हमारे मत में वे अपीलार्थियों की कोई सहायता नहीं करते हैं क्योंकि वे आदेश मामले में अंतर्वलित तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं और द्वितीयतः, हमारा यह निष्कर्ष है कि उन मामलों में, पक्षकारों ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था (देखें : अभिलेख पुस्तिका के पृष्ठ 45 पर एससीए सं. 393/2000 में पारित तारीख 27 जनवरी, 2000 के आदेश का पैरा 3) और अंततः, एक मामला ही 1956 के समझौते के खंड 49 और 1985 के समझौते के खंड 19 पर आधारित था ।

36. सारतः, हमारे मत में वे आदेश प्रत्यक्ष तौर पर उन विवाद्यकों पर विचार नहीं करते हैं जो इन अपीलों की विषयवस्तु हैं और यद्यपि वे प्रश्नगत विवाद्यक पर विचार करते हैं जैसा कि विद्वान् काउंसेल द्वारा तर्क दिया गया है, उसके बाद भी हमारा यह मत है कि वे मामले स्वयं अपने तथ्यों पर आधारित थे ।

37. मामले में इस मत को ध्यान में रखते हुए, उन आदेशों का उच्च न्यायालय के समक्ष सही तौर पर अवलंब नहीं लिया गया था और हम भिन्न मत अपनाने के लिए अच्छा आधार नहीं पाते हैं और तद्नुसार, इस निवेदन को नामंजूर करते हैं ।

38. उसके बाद, अपीलार्थियों के ज्येष्ठ काउंसेल श्री कॉलिन गॉन्साल्वेस ने अपने निवेदन के समर्थन में, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को विस्तृत तौर पर निर्दिष्ट किया ।

39. हमें संशय है, इसलिए, हम संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन फाइल इन अपीलों में साक्ष्यों का विवेचन नहीं कर सकते हैं । इतना कह सकते हैं कि जब एकल न्यायाधीश और खंड न्यायपीठ, अधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्ष के साथ सहमत नहीं थे और उन्होंने सही ही उन निष्कर्षों को उलटा है । इसलिए, यह इस न्यायालय पर बाध्यकारी है ।

40. पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इन अपीलों में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं जो इस प्रकार असफल होते हैं और तद्नुसार, खारिज किए जाते हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

क.